न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए

विमल शर्मा बनाम विष्णु दत्त
मु.नं. 20/24 (7.5)

10.1.25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आडरेक्स प्रतिक्रिया प्रणाली प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जयपुर पधारे जिसके न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31.1.25 को पेश हो। (illegible)

31-1-25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष अनुपस्थित। वादी ने संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया है। अतः वकील वादी को हिदायत दी जाती है कि संशोधित शीर्षक अनिवार्य रूप से पेश करे। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक दिनांक 4.3.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

4-3-25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/4/25 को पेश हो। (illegible)

15/4/25 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को बारम्बार आवाज दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली में लम्बे समय से संशोधित शीर्षक पेश नहीं की जा रही है। वादी को बार-बार निर्देशों के बावजूद भी वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया जा रहा है एवं निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान पत्रावली में कोई कार्यवाही हेतु इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली पक्षकारान की अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)